

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-074423258

GCMS NO.-2025/219

मिसल नम्बर-40/2025

मनीष शर्मा उम्र 54 वर्ष पुत्र रोषनलाल शर्मा जाति भार्गव निवासी 8/371, वार्ड नं0 5, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ - राजस्थान

प्रार्थी।

बनाम

- 1.आशा पाठक पुत्री सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राह्मण
- 2.उषा पाठक पुत्री सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राह्मण
- 3.विनय पाठक पुत्र सुरेन्द्र सिंह जी जाति ब्राह्मण निवासीगण म0नं0 255 न्यू रोड सादुल कॉलोनी, एकसरे वाली गली, नजदीक नारायण ब्रेड फैक्ट्री, बीकानेर
- 4.दिनेश पुत्र कस्तूरीलाल भार्गव जाति भार्गव निवासी कुन्हाडी थाने के पीछे कुन्हाडी कोटा हाल निवासी म0नं. 76 श्रीनाथ आवास, अग्रवाल होटल के पीछे, बून्दी रोड कोटा
- 5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

—:निर्णय:—

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र।)

दिनांक...31/12/2025

उपस्थिति:-

- 1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
- 2.श्री राजकुमार वर्मा अप्रार्थी नं0 1, 2, 3 अधिवक्ता।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से प्रकरण वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर तथा उभयपक्षकारान को मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिवत रूप से नवीन निर्णय पारित करने के निर्देश सहित प्राप्त हुई। प्रकरण में निवेदित सक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 457/501 रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नं0 544/207 रकबा 1.20 है0 कुल कित्ता 02 रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। जिस पर वादी का बहैसियत खातेदार मालिक व काबिज चला आ रहा है। वादी कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर-ट्रॉली व अन्य उपकरण मशीन एवं कृषि उपज लाने व ले जाने के लिए सदैव से गोरधनपुरा गांव से ड्रेन के सहारे स्थित रास्ते से होकर आराजी पर आने जाने का रास्ता खसरा नं0 204 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे होकर ख0नं0 457/501 में आता है तथा ख0नं0 457/501 की दक्षिणी पश्चिमी मेड के सहारे सहारे



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

ख0नं0 457 के उत्तरी-पूर्वी कोने से होकर ख0नं0 544/207 की आराजी पर जाने का रास्ता चला आ रहा है। ख0नं0 204 की आराजी राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के नाम एवं ख0नं0 457 की आराजी प्रतिवादी क्रम 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड है। उपरोक्त ख0नं0 की आराजी में से रास्ते का उपयोग वादी अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 457/501 एवं खसरा नं0 544/207 की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए सदैव से करता चला आ रहा है। आराजी ख0नं0 204 के खातेदार प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 वादी को उक्त आराजी से मेड के सहारे स्थित रास्ते से नहीं निकलने दे रहे हैं। इसलिए वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 457/501 रकबा 0.52 है0 एवं खसरा नं0 544/207 रकबा 1.20 है0 कुल किता 02 रकबा 1.72 है0 वाके ग्राम गोस्धनपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा की कृषि भूमि पर काश्तकारी प्रयोजन हेतु ख0नं0 204 की दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे व ख0नं0 457 के उत्तरी-पूर्वी कोने पर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने एवं उक्त रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में स्थायी रूप से गैर मुमकिन रास्जा दर्ज किये जाने एवं नक्शा ट्रेस तरमीम कर जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 01 लगायत 03 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रतिवादीगण की आराजी वहां बरसों से मौजूद है, प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी वादी को आराजी पर जाने से नहीं रोका और ना ही कोई मशीनरी को आराजी पर जाने से रोका। वादी कोई ऑर्गेनिक कृषि नहीं करता है ना ही वादी को कृषि के लिए कोई बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, वादी वहां पर साधारण कृषि कार्य करता है। वादी को अपनी आराजी पर जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग कर वादी हमेशा कृषि कार्य करता आ रहा है।

अप्रार्थी क्रम 04 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह जवाब प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी क्रम 02 अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की आराजी के पूर्व खातेदार वर्ष 1968 में जो क्रय की गई थी, जिस पर आज काबिज काश्त है, उसके पूर्व खातेदार किस खसरा नं0 पर होकर आते-जाते थे तथा उसी रास्ते की मांग की जावे एवं वादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में पुनः तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है।

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।

वादी के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बहस की गई कि तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.09.2025 के आधार पर निर्णय किया जावे।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 की ओर से यह मुख्य बहस की गई कि प्रतिवादीगण अपनी आराजी पर कई वर्षों से खेती कर रहे हैं। वादी को अपनी आराजी पर जाने के लिए दो वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं। तहसीलदार,



उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पटवारी द्वारा भूमि का मौका मुआयना के दौरान प्रतिवादीगण को उपस्थित होने के संबंध किसी प्रकार की सूचना नहीं की गई।

अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 04 की ओर से अपने जवाब में कथन किया है कि वादी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है लेकिन फिर भी वादी को अधिकतम 04 से 05 मीटर तक ही रास्ता दिया जावे।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि अप्रार्थी दिनेश द्वारा मौके पर पूर्व में खसरा नं० 219 गै०मु०ड्रेन जिस पर वर्तमान में कंकरीट हो रही है, से खसरा नं० 210 व 218 के मध्य मेड़ पर लगभग 8 फीट चौड़ा प्रचलित रास्ता बताया गया। समस्त पक्षकारों की उपस्थिति में मौका देखा गया। मौके पर उक्त रास्ता खसरा नं० 544/207 के मेड़ तक कायम है कही कही झाड़ियों के अवरोध है जिन्हे हटाकर रास्ता चालू हो सकता है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था। उक्त प्रचलित रास्ते से समीपस्थ सभी खसरा नम्बरान पर सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं। उक्त प्रचलित रास्ते के उपयोग व खुलासे के लिए सभी पक्षकार सहमत हैं। हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यन्तिक अभाव नहीं है। तहसील रिपोर्ट अनुसार पूर्व में खसरा नं० 219 गै०मु०ड्रेन जिस पर वर्तमान में कंकरीट हो रही है, से खसरा नं० 210 व 218 के मध्य मेड़ पर लगभग 8 फीट चौड़ा प्रचलित रास्ता मौके पर मौजूद है। उक्त रास्ता खसरा नं० 544/207 के मेड़ तक कायम है कही कही झाड़ियों के अवरोध है जिन्हे हटाकर रास्ता चालू हो सकता है। उक्त रास्ता पूर्व में भी चालू व प्रचलित था।

चूंकि प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता मौजूद है अतः उक्त परिस्थितियों में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे खसरा नं० 218 की मेड़ से होकर खसरा नं० 211 की मेड़ पर प्रचलित रास्ते का प्रयोग करें। प्रचलित रास्ते के अवरुद्ध होने की स्थिति में प्रार्थी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



गजेन्द्र सिंह
उपरखण्ड अधिकारी
काटा
कोटा